उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, खण्डपीठ, नैनीताल

उपस्थितः माननीय श्री राजेन्द्र सिंह

.....उपाध्यक्ष (न्यायिक)

याचिका संख्या 140/एन0बी0/एस0बी0/2023

सुरेन्द्र प्रताप सिंह बिष्ट, उ0नि0ना0पु0, आयु 37 वर्ष, पुत्र श्री पूरन सिंह बिष्ट, स्थाई निवासी ग्राम लामाचौड़ खास, थाना मुखानी तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)।

.....याची

एवं

याचिका संख्या 146/एन0बी0/एस0बी0/2023

दयाल गिरी कान्स0 1116 ना0पु0, आयु 45 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री तिल गिरी, स्थायी निवासी ग्राम रामपुर, थाना व तहसील चौखुटिया जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड) ।

.....याची

एवं

याचिका संख्या 147/एन0बी0/एस0बी0/2023

हेमा मनराल, म0 कान्स0, आयु 38 वर्ष, पत्नी श्री हिमांशु मनराल, स्थाई निवासी, ग्राम चचरोटी, आमखेत, थाना व तहसील भिकियासैण जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)।

.....याची

बनाम्

1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, सचिवालय, देहरादून।
2. पुलिस महानिरीक्षक, कुमाऊं परिक्षेत्र, नैनीताल।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंह नगर (रूद्रपुर)।

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

उपस्थितिः श्री नदीम उद्दीन एवं श्री आसीफ अली, विद्वान अधिवक्ता–याचीकर्ता ।
श्री किशोर कुमार, विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी–विपक्षीगण।

निर्णय

दिनांकः जून 04, 2024

चूंकि उपरोक्त याचिकाओं में तथ्य और कानून का सामान्य प्रश्न है, इसलिए संक्षिप्तता और सुविधा के लिए, दोनों पक्षों की सहमति से, तीनों याचिकायें एक ही निर्णय द्वारा निर्णित की जा रही हैं।

2. उपरोक्त याचिकाओं में याचीगण द्वारा निम्न अनुतोष चाहा गया हैः–

क– आलोच्य दण्ड आदेश दिनांकित 15.03.2022 (निर्देश याचिका का संलग्नक 1) तथा अपील प्राधिकारी का अपील आदेश दिनांकित 05.05.2023 (निर्देश याचिका का संलग्नक 2) एवं अपीलीय आदेश दिनांकित 24.07.2023 (याचिका सं0 146/एनबी/एसबी/2023 एवं याचिका सं0 147/एनबी/एसबी/2023 में पारित) को अपास्त (quash) करें और अवैध तथा शून्य घेषित कर विपक्षरीगण को निर्देशित करें कि वह याची को दिये गये दण्ड को उसकी चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों से विलुप्त करें

ख– याची को समस्त परिणामिक सेवालाभ अवमुक्त करते हुये अनुमन्य अन्य सेवालाभ प्रदान करें

ग– अन्य उपचार जो मामले की परिस्थितियों के अनुरूप माननीय अधिकरण उचित समझे ।

घ– याचिका का खर्च याची को दिलाने हेतु आदेश।

3. संक्षेप में उपरोक्त याचिकाओं के तथ्य निम्न प्रकार हैंः–

याचिका संख्या 140/एन0बी0/एस0बी0/2023 में याची, सुरेन्द्र प्रताप बिष्ट, वर्ष 2015 से पुलिस विभाग में पुलिस सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत है। वर्तमान में जिला उधमसिंह नगर में थाना जसपुर में तैनात है। याची का पूर्व सेवा रिकार्ड साफ है और 2015 से 7 वर्षों से पुलिस विभाग की सेवा में है।

याचिका संख्या 146/एन0बी0/एस0बी0/2023 में याची, दयाल गिरी, वर्ष 2001 से पुलिस विभाग में पुलिस कान्सटेबिल ना0पु0 के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में जिला उधमसिंह नगर में थाना गदरपुर में तैनात है। याची का पूर्व सेवा रिकार्ड साफ है और 2001 से 22 वर्षों से पुलिस विभाग की सेवा में है।

याचिका संख्या 147/एन0बी0/एस0बी0/2023 में याची, हेमा मनराल, वर्ष 2006 से पुलिस विभाग में महिला कान्सटेबिल ना0पु0 के पद पर कार्यरत है। वर्तमान में जिला नैनीताल में अभियोजन कार्यालय, हल्द्वानी में तैनात है। याची का पूर्व सेवा रिकार्ड साफ है और 2006 से 17 वर्षों से पुलिस विभाग की सेवा में है।

याचीगण को लगातार आलोच्य आदेश के वर्ष सहित पिछले वर्षों में अति उत्तम/उत्कृष्ट (out standing) वार्षिक प्रविष्टि दी गयी है। उन्होंने सदैव कर्मठता व लगन से अपने दायित्वों का पालन किया है।

4. याचीगण के विरूद्ध इस आरोप के संबंध में प्रारम्भिक जॉच संस्थित की गई कि वर्ष 2021 में जब वे क्रमशः उ0नि0 जनपद उधमसिंह नगर; कान्स0 थाना, जसपुर एवं म0 कान्स0 थाना ट्रांजिट कैम्प में नियुक्त थे तो डॉ0 प्रेम सिंह राणा, माननीय विधायक,

नानकमत्ता, उधमसिंह नगर के तथाकथित अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 07.06.2021 की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें याचीगण सहित विभिन्न पुलिस कर्मियों की सूची दी गयी थी। विपक्षी संख्या 3 द्वारा दिनांक 22.07.2021 को उक्त के क्रम में पुलिस कर्मियों द्वारा जन प्रतिनिधि से स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सिफारिस कराकर कर्मचारी आचरण नियमावली, का उल्लंघन करने वाले कर्मियों के विरूद्ध जांच कर आख्या उपलब्ध कराने को श्रीमान पुलिस अधीक्षक, नगर, रूद्रपुर को आदेशित किया।

5. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, नगर, रूद्रपुर ने अपनी जांच आख्या जांच–एसटीए–17 18/2021 दिनांक 25.08.2021 में बिना स्वतंत्र साक्ष्यों तथा याचीगण के पक्षों को विचार में लिये बिना किसी सम्बद्ध कारण को उल्लेखित किये बिना किसी वैध आधार के याचीगण सहित मा0 विधायक के तथाकथित पत्र में दी गयी सूची में शामिल सभी कार्मिको के दोषी होने का निष्कर्ष दे दिया। इस जांच आख्या के संलग्नकों, दस्तावेजी साक्ष्यों व बयानों की प्रतियों के बिना जांच आख्या के 10 पृष्ठों की फोटोप्रति याची को प्राप्त करायी गयी।

6. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, नगर, रूद्रपुर की उक्त जांच आख्या को आधार बनाते हुये इसके निष्कर्षों के भी विपरीत जाकर कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता, शिथिलता एवं स्वेछाचारिता का परिचायक कार्य करने का आरोप लगाते हुये, विपक्षी सं0 3 ने कारण बताओं नोटिस संख्या द–88/2021 दिनांक 20.09.2021 याचीगण की वर्ष 2021 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का उल्लेख करते हुये दिया। उक्त नोटिस के साथ 67 पृष्ठों की पूर्ण जांच आख्या के स्थान पर जांच आख्या के संलग्नकों, दस्तावेजी साक्ष्यों व बयानों की प्रतियों के बिना जांच आख्या के 10 पृष्ठों की फोटोप्रति याची को प्राप्त करायी गयी। उक्त नोटिस की प्रति याचिका की संलग्नक 4 है।

7. उक्त नोटिस का याचीगण द्वारा उत्तर प्रेषित करते हुये उन पर लगाये गये आरोपों के गलत व निराधार होने को स्पष्ट करते हुये निरस्त करने की प्रार्थना की गयी। विपक्षी सं0 03 ने याचीगण के स्पष्टीकरण तथा उसमें दिये गये तर्कों को न मानने का कोई स्पष्ट आधार दिये बगैर ही वर्ष 2021 में चरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि अंकित करने का आदेश द–88/2021 दिनांक 15.03.2022 पारित कर दिया। उक्त आदेश की प्रति याचिका की संलग्नक 1 है। याची ने उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षी सं0 02 के समक्ष अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील की प्रति याचिका की संलग्नक 6 है। विपक्षी सं0 2 द्वारा अपील के तथ्यों व आधारों पर निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर, अवैध रूप से याचीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को अपील आदेश दिनांकित 05 मई, 2023 एवं अपीलीय आदेश दिनांकित 24.

07.2023 (याचिका सं0 146/एनबी/एसबी/2023 एवं याचिका सं0 147/ एनबी/ एसबी/ 2023 में पारित) से निरस्त कर दिया गया।

8. अलोच्य आदेश का प्रमुख तथ्यात्मक बिन्दु ''अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक दबाव बनाकर स्थानान्तरण हेतु सिफारिश करना'' दर्शाया गया है जबकि इसमें तथ्यों को घुमा–फिराकर अपूर्ण व भ्रामक रूप में लिखित किया गया है। याचीगण द्वारा अपनी सेवा की अवधि में उन्होंने पूर्ण कर्मठता, निष्पक्षता व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मा0 विधायक डॉ0 प्रेम सिंह राणा जी या किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी को किसी के द्वारा कोई फोन व सिफारिश नहीं करायी गयी है और न ही सिफारिश के लिये माननीय विधायक या किसी अन्य व्यक्ति या पदाधिकारी से मिले है। मा0 विधायक जी के लेटर पैड पर पत्र में याचीगण का नाम कैसे आया इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं हैं, उनके द्वारा मा0 विधायक नानकमत्ता को अपने स्थानांतरण के सम्बन्ध में कोई फोन नहीं किया गया है। याचीगण ने कभी उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 की कोई जानकारी याचीगण को कभी नहीं दी गयी है और न ही उक्त लम्बे सेवाकाल के दौरान सम्बंधित नियमावली के गजट की प्रति ही याची की तैनाती के किसी थाने में उपलब्ध हुई है। जिससे वह सूचित हो सके। याचीगण की जानकारी में इससे पूर्व किसी पुलिस कर्मी का नाम किसी विधायक द्वारा अपने पैड पर स्थानान्तरण के लिये अनुशंसा पर उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का कोई प्रकरण नहीं आया है। अलोच्य आदेश का आधार श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, अपराध/ यातायात, उधमसिंहनगर की प्रारम्भिक जांच आख्या श्रीमान पुलिस अधीक्षक, नगर, रूद्रपुर, उधमसिंह नगर की जांच आख्या एसटीए–17 (18)/2021 दिनांक 25 अगस्त, 2021 की प्रारम्भिक जांच आख्यां को बनाया गया है। इस जांच आख्या के निम्न तथ्य स्वयं प्रमाणित करते हैं कि याचीगण के विरूद्ध उक्त आदेश निराधार, गलत व विधि विरुद्ध हैं। उक्त जांच रिपोर्ट में याचीगण के विरूद्ध अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता, शिथिलता एवं स्वेछाचारिता का परिचायक कार्य करने का उल्लेख नही किया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट में उल्लेखित किसी भी बयान से याचीगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप की पुष्टि नही होती है।

9. उक्त जांच आख्या में उल्लेखित बयानों में किसी भी व्यक्ति ने याचीगण के प्रतिकूल कोई बयान नही दिया है। उक्त जांच आख्या के निष्कर्ष किसी प्रमाणित साक्ष्यों पर न होकर, केवल उपधारणा (presumption) के आधार पर लिखित किये गये है। जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया है कि याचीगण ने

कभी उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 के किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। जांच आख्या में तथा–कथित उल्लंघन किये गये सम्बंधित नियमावली, के नियम का उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड में ''राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002'' के नाम की कोई नियमावली लागू नहीं है। जबकि इसके उल्लंघन के दोषी होने का अवैध रूप से निष्कर्ष जांच अधिकारी द्वारा दिया गया है। जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया है कि याची की जानकारी में इससे पूर्व किसी पुलिस कर्मी का नाम किसी विधायक द्वारा अपने पैड पर स्थानान्तरण के लिये अनुशंसा पर उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का कोई प्रकरण नहीं आया है। मा0 विधायक डा0 प्रेम सिंह राणा के वायरल पत्र दिनांकित 07.06.2021 में किसी भी कर्मचारी के स्थानान्तरण की स्पष्ट सिफारिश नहीं की गयी है और न ही कोई अनुरोध/ निर्देश या आदेश ही दिया गया है। केवल पुलिस कार्मियों की एक अपनी सूची बनाकर प्रेषित की गयी है। इसे सिफारिश का पत्र नहीं माना जा सकता है बल्कि यह केवल उनकी अपनी इच्छा या पसंद दर्शाता है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के स्थानान्तरण आदेश में भी विभिन्न मामलों में इस सूची से समानता यह दर्शाती है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी इसे सिफारिशी पत्र नहीं माना है। अगर वह इसे सिफारिशी पत्र मानते तो कदाचार करके सिफारिश कराये गये किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण उस पत्र के अनुसार नहीं करते। जांच अधिकारी ने अपनी जांच आख्या में इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया है कि प्रारम्भिक जांच आख्या में उल्लेखित माननीय विधायक के बयान से भी स्पष्टतः प्रमाणित है कि स्थानान्तरण के सम्बंध में न तो उनसे अपीलार्थी द्वारा सम्पर्क किया गया है और न ही वह उनसे मिला है। इस प्रकार याची का नाम माननीय विधयक की सूची में होने में याची की कोई भूमिका या योगदान नही है।

10. जांच अधिकारी के जांच निष्कर्ष बयानों, साक्ष्य विश्लेषण से असंगत तथा विरोधाभासी है। इसलिये उक्त जांच आख्या स्वीकार किये जाने व कार्यवाही किये जाने योग्य नहीं है। दण्डादेश पारित करने से पूर्व याचीगण को समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया है। उन्हें कारण बताओ नोटिस के साथ उसके सभी संलग्नकों जिसमें दस्तावेजी साक्ष्यों तथा बयानों की प्रतियां शामिल हैं, नहीं दी हैं। इसके अतिरिक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर सहानुभूतिपूर्वक तथा निष्पक्ष व विधिसम्मत रूप से विचार नहीं किया गया है। आदेश में लिखित किया गया है कि ''याचीगण द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में कोई बल नहीं है, जो सन्तोषजनक नहीं पाया गया।'' लेकिन इसका कोई विधिसम्मत व तर्कसंगत कारण नहीं दिया गया है। इसमें लिखा गया है कि प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त

कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए उ0नि0 को अपने बचाव व सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है, जो पूर्णतः विधि सम्मत एवं नियमानुकूल है। कानून के अनुसार जांच के तथ्यों पर विचार करके उस पर कार्यवाही करने योग्य होने का निर्णय किया जाना आवश्यक है जो नहीं किया गया है। जबकि याची को जांच आख्या की प्रति उसके सभी संलग्नकों जिसमें दस्तावेजी साक्ष्यों तथा बयानों की प्रतियां शामिल हैं नोटिस के साथ नहीं उपलब्ध करायी गयी है, केवल इसके कुल 67 पृष्ठों में से केवल 10 पृष्ठों की फोटोप्रति ही उपलब्ध करायी है। इसलिये वह समुचित उत्तर देने की स्थिति में ही नहीं था। उल्लेखनीय है कि प्रारम्भिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर कोई दण्डादेश पारित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दण्डादेश देने वाले अधिकारी ने कोई कारण बताओ नोटिस नहीं दिया है, बल्कि उनके पूर्व अधिकारी द्वारा दिया गया है। इसलिये भी इसे वास्तविक सुनवाई का अवसर नहीं माना जा सकता है। अपील आदेश पारित करने से पूर्व विपक्षी सं0 02 ने याची की अपील में दिये गये आधारों पर सहानुभूतिपूर्वक तथा निष्पक्ष व विधिसम्मत रूप से विचार नहीं किया गया है। अलोच्य दण्डादेश को सही मानने का इससे सम्बद्ध कोई विधिसम्मत आधार व कारण नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता ने कोई गलती या चूक नहीं की है क्योंकि याचिकाकर्ता ने न तो अपने स्थानान्तरण के लिये कोई सिफारिश करायी है। और न ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका कोई प्रयास ही किया है और न ही कोई लापरवाही या किसी कानूनी प्रावधान व आदेश का उल्लंघन किया है। अलोच्य (impugned) दण्ड आदेश व अपील आदेश विधि विरूद्ध, निराधार, गलत तथ्यों पर आधारित है तथा निरस्त होने योग्य है। अलोच्य (impugned) आदेश विपक्षी संख्या 2 व 3 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 19, 21 तथा 311 तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लघन करके पारित किये हैं। विपक्षी प्राधिकारियों द्वारा अलोच्य (impugned) आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिनियम 2007 के प्रावधानों का उल्लंघन करके पारित किये गये हैं।

11. अलोच्य (impugned) आदेश उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की दंड एवं अपील नियमावली–1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम 14 (2) के अन्तर्गत की जाने वाली विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया के अन्तर्गत दिया गया है जबकि यह नियमावली जिस पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 46 (1) के अन्तर्गत बनायी गयी है वह अधिनियम ही उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 86 (1) से निरसित कर दिया गया है तथा उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 87 (1) के अन्तर्गत इस विषय से संबंधी कोई नियम या

विनियम वर्तमान तक लागू नहीं किया गया है। अलोच्य (impugned) आदेश उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी/कर्मचारी की दण्ड एवं अपील नियमावली, 1991 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के प्रावधानों के भी उल्लंघन में पारित किये गये हैं। अलोच्य (impugned) आदेश श्रीमान पुलिस अधीक्षक, नगर रूदपुर ने अपनी जांच आख्या एसटीए–17 18/2021 दिनांक 25.08.2021 के आधार पर दिया गया है उसके निष्कर्ष भी न तो तथ्यों से सुसंगत है और न ही प्रकरण के सभी तथ्यों पर निष्पक्ष से विचार करके ही दिये गये है। इसलिये उक्त प्रारम्भिक जांच स्वीकार योग्य नहीं है। इसलिये इसके आधार पर दिया गया उक्त आदेश भी अवैध है तथा निरस्त होने है। अलोच्य (impugned) आदेश जिस जांच के आख्या के आधार पर किया गया है उसमें न तो प्रारंभिक जांच लिखा है और न ही विभागीय जांच के नियमों का पालन करके की गयी है। माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने कान्स 65 अनोखेलाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य (रिट पिटीशन संख्या 1154 सन 2005 (एस/एस)) में उत्तराखण्ड (उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील) नियमावली 1991) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के परिनिन्दा के दण्ड वाले नियम 4(1)(b)(iv) को अवैध (ultra virus) घोषित कर दिया है। इसलिये भी परिनिन्दा लेख अंकित करने का दण्ड देने वाला उक्त आदेश अवैध है व निरस्त होने योग्य है। अलोच्य (impugned) आदेश से संबंधित जांच व उसमें दिये गये निष्कर्षों को स्वीकार करने का कारण दिये बगैर ही वर्ष, 2021 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा लेख अंकित करने का दण्ड देने हेतु कारण बताओ बिना जांच आख्या के सभी पृष्ठों की प्रति दिये नोटिस याचिकाकर्ता को दिया गया है। इस नोटिस में विपक्षी संख्या 2 के पत्र संख्या सीओके 62/2021 दिनांक 24.06.2021 माननीय विधायक डा0 प्रेम सिंह राणा के पत्र से स्थानान्तरण की अपेक्षा करने को अवगत कराया है जबकि जांच आख्या में इस पत्र की दिनांक से दो दिन पूर्व पत्र संख्या ज–90/2021 दिनांक 22.06.2021 से जांच हेतु आदेशित करने का उल्लेख है। यह स्वयं विरोधाभासी है। अलोच्य (impugned) आदेश से संबंधित नोटिस के उत्तर में दिये गये आधारों व उसमें उल्लेखित विधि को न मानने का समुचित कारण दिये बगैर याचिकाकर्ता के विरुद्ध वर्ष 2021 की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि अंकित करने का दण्डादेश पारित किया गया है। अलोच्य (impugned) अपील आदेश बिना याचिकाकर्ता की अपील के आधारों पर समुचित व निष्पक्ष रूप से विचार किये बगैर, अपील निरस्त करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिये बगैर पारित किया गया है जो अवैध है तथा निरस्त होने योग्य है। अलोच्य (impugned) आदेश में नियमों में उल्लेखित ऐसे नियम, प्रावधान व किसी कार्य या कार्य

लोप का उल्लेख नहीं है जिसमें नियम 4 व पुलिस अधिनियम 2007 में उल्लेखित कोई दंड दिया जा सकता हो।

12. याचीगण के विरूद्ध दण्डादेश पारित करने में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है। याचीगण को कारण बताओ दण्डादेश पारित करने वाले अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया है बल्कि पूर्व अधिकारी द्वारा आदेश से लगभग 6 माह पूर्व दिया गया है। यह नोटिस केवल औपचारिकता पूरी करने के लिये दिया है। इसीलिये न तो नोटिस के साथ जांच आख्या की पूर्ण प्रतिलिपि प्राप्त करायी गयी है और न ही नोटिस में इसके व जांच आख्या के निष्कर्षों को मानने के कारण ही सूचित किये गये हैं। दण्डादेश देने से पूर्व याचीगण द्वारा कारण बताओं नोटिस के उत्तर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया है। याचीगण के विरूद्ध कोई आरोप साबित नहीं किया गया है बल्कि उसके विरुद्ध अपने कर्तव्य/डयूटी के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता, शिथिलता एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक कार्य करने की उपधारणा (presumption) करके दण्डादेश हेतु नोटिस दिया गया है । नोटिस देने के उपरान्त बिना किसी स्पष्ट आधार के अनावश्यक रूप से जनप्रतिनिधि से स्थानान्तरण हेतु सिफारिश कराने का आरोप लगाते हुये आदेश पारित कर दिया गया है, जो नहीं किया जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न केसों में अभिनिर्धारित व पुष्ठ विधिक सिद्धांत के अनुसार किसी भी दण्ड देने की कार्यवाही में साबित करने का भार आरोप लगाने वाले पर है तथा मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित किया जाना चाहिये। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न केसों में अभिनिर्धारित व पुष्ठ उक्त विधिक सिद्धांत के आधार पर भी उक्त दण्डादेश विधि विरूद्ध है व निरस्त होने योग्य है। अलोच्य (impugned) आदेश जिस जांच के आधार पर दिया गया है उसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन किया गया है। इसमें न तो संबंधित सभी पक्ष के बयान ही दर्ज किये गये हैं और न ही समी संबंधित अभिलेखों पर चिवार किया गया है। याची के विरूद्ध निष्कर्ष लिखने का सहबद्ध स्पष्ट कारण भी नहीं दिया गया है और न ही उसके पक्ष में उपलब्ध साक्ष्यों पर सहानुभूतिपूर्वक व निष्पक्षता से विचार ही किया है। इसलिये अलोच्य (impugned) आदेश निरस्त होने योग्य है।

13. विपक्षीगण की ओर से प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि जब याचीकर्ता वर्ष–2021 जनपद ऊधमसिंहनगर में नियक्त थे। तो पुलिस महानिरीक्षक, कुमायूं परिक्षेत्र नैनीताल के पत्र संख्या सीओके–62/2021 दिनांक 24.06.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि डॉ0 प्रेम सिंह राणा, माननीय विधायक, नानकमत्ता,

ऊधमसिंहनगर के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 07.08.2021 के अवलोकन से पाया कि मा0 विधायक नानकमत्ता से अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्पर्क किया गया, जिस कारण उक्त अर्द्धशासकीय पत्र में उनका नाम उल्लिखित है, जो जनप्रतिनिधियों से स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सिफारिश कराया जाना कदाचित कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है जिसके लिए प्रकरण में इनको राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक दबाव बनाकर स्थानान्तरण हेतु सिफारिश करवाने का दोषी पाया गया है।

14. उक्त प्रकरण की नियामानुसार प्रारम्भिक जांच पुलिस अधीक्षक, नगर रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंहनगर से सम्पादित करायी गयी जिसके द्वारा अपनी सुस्पष्ट जांच आख्या संख्या–एसटीए–17 (18)/2021 दिनांक 25.08.2021 में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा नियामानुसार कथनों को अंकित करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्यवाही के उपरान्त अपना निष्कर्ष अंकित किया कि जांच के दौरान डॉ0 प्रेम सिंह राणा माननीय विधायक नानकमत्ता जनपद ऊधमसिंहनगर के अर्द्धधशासकीय पत्र दिनांकः 07.06.2021 में नामित पुलिस उप–निरीक्षक श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह बिष्ट के कथन अंकित किये गये जिसमें उक्त उप–निरीक्षक द्वारा माननीय विधायक को फोन करने या किसी अन्य माध्यम से उनसे सम्पर्क कर अपने स्थानान्तरण हेतु नहीं बताना बताया गया। जबकि जांच के दौरान कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पूर्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद ऊधमसिंहनगर को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना बताया गया है। राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार नामित पुलिस उपनिरीक्षक श्री सुरेन्द्र सिंह बिष्ट माननीय विधायक नानकमत्ता से अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक दबाव बनाकर स्थानान्तरण करवाने के लिये दोषी पाये गये। जांच के दौरान पाया गया कि इनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से माननीय विधायक नानकमत्ता से अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में सम्पर्क किया गया, जिस कारण उक्त अर्द्धधशासकीय पत्र में उनका नाम उल्लिखित है, जो जनप्रतिनिधियों से स्थानान्तरण के संबंध में सिफारिश कराया जाना कदाचित कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है, जिसके लिए प्रकरण में इनको राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली, 2002 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राजनैतिक दबाव बनाकर स्थानान्तरण हेतु सिफारिश करवाने का दोषी पाया गया है। इस प्रकार पुलिस जैसे अनुशासित बल में नियुक्त रहते हुए इनका यह कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता, अनुशासनहीनता, शिथिलता एवं स्वैछाचारिता का परिचायक है। उपरोक्त आरोपों के सम्बन्ध में याचीगण को कार्यालय के पत्र दिनांक 20.09.2021 के द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए नोटिस प्राप्ति के 15

दिवस के अन्दर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण की जांच में उक्त कर्मचारी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से माननीय विधायक नानकमत्ता से अपने स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में सम्पर्क किया जाना पाया गया, जिस कारण उक्त अर्द्धशासकी पत्र में उनका नाम उल्लिखत है। प्रकरण में प्रतिवादी विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए याचीगण को अपने बचाव में सुनवायी का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है, जो पूर्णतः विधि सम्मत एवं नियमानुकूल है। याचीगण द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण में कोई बल एवं सन्तोषजनक नहीं पाया गया। सम्यक विचारोपरान्त स्पष्टीकरण अस्वीकार किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण की गहन सन्निरीक्षा के उपरान्त उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम–2007 की धारा–23(2)(ख) एवं उत्तराखण्ड {उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली–1991} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002 के नियम–14(2) की विभागीय कार्यवाही में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्नांकित परिनिन्दा प्रविष्टि याची की चरित्र पंजिका में अंकित किये जाने के आदेश पारित किये गये। पुलिस महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र, नैनीताल द्वारा अपील सुनवाई के उपरान्त आदेश संख्या–सीओके–150 (24)/2022 दिनांक 05.05.2023 के द्वारा अपील को बलहीन पाते हुए अस्वीकृत कर दिया गया। जो पूर्णतः विधि सम्मत एवं नियमानुकूल है।

15. याचीगण की ओर से प्रतिउत्तरशपथपत्र दाखिल किया गया जिसमें विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथपत्र/लिखित विवेचन में किये गये कथनों का प्रतिकार करते हुए याचिका में किये गये कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

16. मैंने याचीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तरदातागण की ओर से सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

17. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि याचीगण को विपक्षीगण द्वारा प्रारम्भिक जांच अधिकारी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक नगर, रूदपुर, उधमसिंहनगर, के द्वारा की गयी भ्रामक जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि विरूद्ध रूप से दण्डित करते हुए परिनिन्दा लेख प्रविष्टि से दण्डित किया गया है जबकि जांच अधिकारी द्वारा गवाहन के बयानात के विरूद्ध अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी थी। जांच अधिकारी द्वारा परिकल्पना के आधार पर याचीगण द्वारा अपने स्थानान्तरण करने के संबंध में मा0 विधायक नानकमत्ता से सम्पर्क किया जाना कहते हुए याचीगण को दोषी पाने का उल्लेख किया गया है जो पूरी तरह प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध है, जबकि न तो याचीगण द्वारा और न ही किसी अन्य गवाहन द्वारा याचीगण के स्थानान्तरण के संबंध में मा0 विधायक नानकमत्ता

डा0 प्रेम सिंह राणा से सिफारिश करना अपने बयानात में कहा गया है। यहां तक कि स्वयं जांच अधिकारी द्वारा मा0 विधायक नानकमत्ता से इनके मोबाइल नं0 से वार्ता किया जाना बताया गया और जिस पर मा0 विधायक द्वारा भी पुलिस में स्थानान्तरण के संबंध में कोई पुलिस कर्मचारी अपने पास न आना व फोन पर सम्पर्क करना नहीं कहा गया इसके बावजूद जांच अधिकारी द्वारा बिना किसी साक्ष्य के कल्पना के आधार पर याचीगण को दोषी पाने का, जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया जो याचीगण को सेवा लाभों आदि से प्रभावित करने के षड़यंत्र से किया जाना स्पष्ट है। अतः याचीगण के विरूद्ध पारित परिनिन्दा परिलेख दण्डादेश दिनांकित 15 मार्च, 2022 एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 05.05.2023 एवं 24.07.2023 अपास्त किया जावे।

18. जबकि विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा याचीगण के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कहा कि जांच अधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान दिये गये गवाहों के बयान एवं अभीलेखीय साक्ष्य में बल पाते हुए अपनी जांच प्रस्तुत की गयी है तथा जांच के दौरान कुछ कर्मचारियों द्वारा अपने स्थानान्तरण के संबंध में पूर्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद उधमसिंहनगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना बताया गया है। विद्वान सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि पुलिस महानिरीक्षक कुमायूं परिक्षेत्र, नैनीताल के पत्र सं0 सीओके 62/2021 दिनांक 24.06.2021 के द्वारा अवगत कराया गया कि डॉ0 प्रेम सिंह राणा, मा0 विधायक, नानकमत्ता, उधमसिंह नगर, के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 07.06.2021 के अवलोकन से पाया गया कि याचीगण द्वारा मा0 विधायक, नानकमत्ता से अपने स्थानान्तरण के संबंध में सम्पर्क किया गया, जिस कारण उक्त अर्द्धशासकीय पत्र में उनके नाम उल्लिखित किये गये हैं जो जनप्रतिधियों के स्थानान्तरण के संबंध में सिफारिश कराया जाना कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है और जिस कारण से अभिलेखों एवं प्रकरण की गहन समीक्षा के उपरान्त उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 23(2)(ख) एवं उत्तराखण्ड {उ0प्र0 अधिनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी के (दण्ड एवं अपील) निमयावली 1991} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2022 के नियम 14(2) में विभागीय कार्यवाही में निहित प्राविधानों के अनुसार याचीगण की चरित्र पंजिका में परिनिन्दा प्रविष्टि अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें याचीगण को कारण बताओ नोटिस दिया गया। तत्पश्चात पूर्ण सुनवाई के पश्चात् परिनिन्दा आदेश पारित किया गया है इसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। याचीगण की याचिका खारिज की जावे।

19. पत्रावली पर इस स्तर पर उपलब्ध साक्ष्य एवं उक्त चर्चित तथ्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मा0 विधायक, नानकमत्ता डॉ0 प्रेम सिंह राणा द्वारा अपने लेटर पैड पर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर को तीन उप–निरीक्षक, चार कान्सटेबिल के स्थानान्तरण के संबंध में उल्लेख किया गया और इसी लेटर पैड में अन्त में संशोधन के रूप में 3 अन्य कान्स0 के स्थानान्तरण के बावत भी आदेश स्वरूप उल्लेख किया गया, उक्त स्थानान्तरण आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त आदेश में मा0 विधायक द्वारा किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि याचीगण उनके पास स्थानान्तरण हेतु सिफारिश करवाने के लिए आये हों अथवा टेलीफोन पर अपने स्थानान्तरण हेतु अनुरोध किया गया हो। अब जहां तक मा0 विधायक, नानकमत्ता, डॉ0 प्रेम सिंह राणा के उक्त पत्र/आदेश के आधार पर याचीगण को परिनिन्दा परिलेख से दण्डित करने का प्रश्न है, के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिहनगर द्वारा पुलिस अधीक्षक, नगर, उधमसिंहनगर, को प्रारिम्भक जांच सुपुर्द की गयी और जिस पर पुलिस अधीक्षक नगर, ममता वोहरा द्वारा प्रारम्भिक जांच करते हुए बयान उप–निरीक्षक अनिल कुमार प्रभारी चौकी महतोष, उप–निरीक्षक सुरेन्द्र प्रताप सिंह बिष्ट एस0ओ0जी0, उप–निरीक्षक रमेश चन्द्र बेलवाल, कान्स0 166 ना0पु0 हेमलता मनराल, कान्स0 1116 ना0पु0 दयाल गिरी, कान्स0 523 रविन्द्र वर्मन, कान्स0 795 जगदीश लोहनी, कान्स 1166 ना0पु0 प्रकाश भट्ट, कान्स 1013 ना0पु0 दिनेश कुमार एवं कान्स0 1178 ना0पु0 गिरीश चन्द्र, थाना के बयानात दर्ज किये गये और जिसमें सभी गवाहन द्वारा मा0 विधायक, नानकमत्ता द्वारा अपने लेटर पैड पर दिये गये स्थानान्तरण आदेश के संबंध में जानकारी होने से इन्कार किया गया है और न ही मा0 विधायक, नानकमत्ता से किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई वार्ता किया जाना कहा गया। यहां तक की स्वयं जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच आख्या के विश्लेषण/ निष्कर्ष में यह उल्लिखित किया गया कि ‘‘**प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में मेरे द्वारा अपने सरकारी मोबाईल नम्बर से डॉ0 प्रेम सिंह राणा माननीय विधायक नानकमत्ता से वार्ता की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि पुलिस के स्थानान्तरण के सम्बन्ध कोई पुलिस कर्मचारी मेरे पास नहीं आया तथा न ही मुझे फोन किया गया।**

उल्लेखनीय है कि उक्त शासकीय पत्र में उल्लिखित पुलिस कर्मचारियों द्वारा माननीय विधायक से फोन करने या अन्य किसी माध्यम से सम्पर्क करने की पुष्टि नहीं होती है। फिर भी उक्त पुलिस कर्मचारीगण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से माननीय विधायक नानकमत्ता से अपने स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में सम्पर्क किया गया है, जिस कारण उक्त अर्द्धशासकीय पत्र में उनका नाम उल्लिखित है।’’

20. जांच अधिकारी द्वारा दिये गये उपरोक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी द्वारा अपने जांच के दौरान जिन उपरोक्त गवाहन के बयान लिए गये हैं उन्होने अपने बयानात

में स्पष्टतः स्वीकार किया है कि अपने स्थानान्तरण के संबंध में मा0 विधायक नानकमत्ता डा0 प्रेम सिंह राणा से किसी भी तरह की कोई सिफारिश व वार्ता नहीं की गयी और न ही स्थानान्तरण के संबंध में कोई फोन कराया गया। स्वयं मा0 विधायक, नानकमत्ता से जांच अधिकारी द्वारा अपने सरकारी मो0 नं0 से वार्ता करने पर पुलिस के स्थानान्तरण के संबंध में कोई पुलिस कर्मचारी उनके पास आया नहीं बताया गया और न ही उनको फोन किया जाना कहा गया। ऐसी स्थति में जांच अधिकारी द्वारा सम्भावना के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से मा0 विधायक, नानकमत्ता द्वारा याचीगण द्वारा अपने स्थानान्तरण करने के संबंध में काल्पनिक रूप से सम्पर्क करना पाते हुए दोषी ठहराया गया, जो पूरी तरह पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के विपरीत है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि जांच अधिकारी द्वारा मा0 विधायक से अपने सरकारी मोबाइल से वार्ता किया जाना कहा गया है उसमें भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया कि मा0 विधायक द्वारा अपने लेटर पैड पर याचीगण व अन्य पुलिस कर्मचारीगण के स्थानान्तरण आदेश का कैसे उल्लेख किया गया तथा क्या लेटर पैड में पुलिस कर्मचारीगण के संबंध में व उनकी कार्य–प्रणाली के संबंध में मा0 विधायक को कोई विशिष्ट जानकारी अथवा कानून व्यवस्था को बनाये रखने में उक्त पुलिस कर्मचारीगण का स्थानान्तरण स्वेच्छा से कराने हेतु अपने लेटर पैड पर उनके स्थानान्तरण अन्य जगह कराने चाहे गये थे। मात्र सम्भावना के आधार पर जाचं अधिकारी द्वारा यह उल्लिखित करना कि याचीगण ने अपने स्थानान्तरण के संबंध में सम्पर्क किया होगा, के आधार पर याचीगण को दोषी ठहराया जाना अत्यंत ही आपत्तिजनक एवं विधि विरूद्ध है। इतना ही नहीं, विपक्षी सं0 3, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर द्वारा भी विवेक का इस्तेमाल किये बिना ही जांच अधिकारी की काल्पनिक जांच रिपोर्ट के आधार पर याचीगण को दोषसिद्ध किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय एवं विधि विरूद्ध है। अतः उपरोक्त साक्ष्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षी संख्या 3, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उधमसिंहनगर द्वारा याचीगण के विरूद्ध पारित परिनिन्दा दण्डादेश दिनांकित 15.03.2022 एवं उक्त आदेश के विरूद्ध याचीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.05. 2023 एवं अपीलीय आदेश दिनांकित 24.07.2023 (याचिका संख्या 146/एन0बी0/ एस0बी0/ 2023 एवं याचिका सं0 147/एनबी/एसबी/2023 में पारित) अपास्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाता सं0 3 द्वारा याचीगण के विरूद्ध पारित परिनिन्दा प्रविष्टि आदेश दिनांकित 15.03.2022 एवं याचीगण द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध

दायर अपील में विपक्षी सं0 2 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 05.05.2023 एवं अपीलीय आदेश दिनांकित 24.07.2023 (याचिका संख्या 146/एन0बी0/ एस0बी0/2023 एवं याचिका सं0 147/एनबी/एसबी/2023 में पारित) अपास्त किये जाते हैं। विपक्षी सं0 3 व 2 को आदेशित किया जाता है कि याचीगण की चरित्र पंजिका व अन्य अभिलेखों में दर्ज परिनिन्दा प्रविष्टि को अन्दर तीस (30) दिन में विलुप्त करें। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए पक्षकार वाद व्यय अपना–अपना वहन करेंगें।

आदेश की एक–एक प्रति याचिका संख्या 146/एन0बी0/एस0बी0/2023 एवं 147/एन0बी0/एस0बी0/2023 में रखी जाये।

दिनांकः जून 04, 2024
देहरादून।

(राजेन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष (न्यायिक)

KNP/RENU